संख्या-161 /2025/2720/26-3-2025-1396097

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या–सी-2566/स0क0/शिक्षा-अ/8/2025-26 दिनांक 03.10.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु द्वितीय चरण के अन्तर्गत संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

2- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु द्वितीय चरण के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण अनुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	2	3
1	**विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण**	07 अक्टूबर, 2025 तक
2	**जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना** सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-12 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	08 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2025 तक
3	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा जनपदीय लागिन पर प्रेषित करना।	08 अक्टूबर, 2025 से 10 अक्टूबर, 2025 तक
4	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	11 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2025 तक

5	**मांग सृजन**	14 अक्टूबर, 2025
6	**धनराशि वितरण**	16 अक्टूबर, 2025

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
RAJANI KANT PANDEY
Date: 06-10-2025
18:05:44

भवदीय,
(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।